



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258040
CG-DL-E-18102024-258040

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2024

आ. अ. 190(अ).—यतः, लोक सभा में 04-वयनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राहुल गांधी की सीट उनके त्यागपत्र दिए जाने के परिमाणस्वरूप 18 जून, 2024 को रिक्त हो गई है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;
3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149, धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा –

- (अ) केरल राज्य में उक्त 04-वयनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे 25 नवंबर, 2024 (सोमवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दें,
- (ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में नियत करता है, -
- (क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख – 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार);
- (ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख – 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख – 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार);
- (घ) वह तारीख, जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा -13 नवंबर, 2024 (बुधवार); और

(ड) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 25 नवंबर, 2024 (सोमवार); और

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

[सं. 100/केरल-लो.स./1/2024]

आदेश से,

ए. के. पाठक, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2024

O. N. 190(E).—WHEREAS, the seat of Shri Rahul Gandhi, in the House of the People elected from 04-Wayanad Parliamentary Constituency, has become vacant on 18th June, 2024, consequent upon his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 149, Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said 04-Wayanad Parliamentary Constituency in the State of Kerala, to elect, before 25th November, 2024 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People,

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

(a) the 25th October, 2024 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 28th October, 2024 (Monday), as the date for the Scrutiny of nominations;

(c) the 30th October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th November, 2024 (Wednesday), as the date on which the poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 25th November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from 07:00 A.M. to 06:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

\\[No. 100/KL-HP/1/2024]

By Order,

A K PATHAK, Secy.